उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या/2900–का–1–83

लखनऊ, 22 मार्च, 1984

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सरकारी सेवाओं में विभिन्न श्रणी के पदों पर निचले संवर्ग से प्रोन्नति हेतु, संगत सेवा नियमों के अनुसार अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता अथवा श्रेष्ठता का मापदण्ड अपनाया जाता है जो पद लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं, उन पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, परन्तु जो पद आयोग की परिधि के बाहर हैं उन पर चयन की कार्यवाही नियमानुसार गठित सक्षम चयन समिति द्वारा की जाती है। उक्त चयन समिति के लिय उपर्युक्त दोनों मापदण्डों के आधार पर होने वाले चयन की प्रक्रिया के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट नियम सामान्य निर्देश न होने के कारण विभिन्न चयन समितियों द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। उदाहरणस्वरूप श्रेष्ठता के मापदण्ड के चयन के अवसर पर यह देखा गया है कि कुछ चयन समितियों द्वारा चरित्र पंजिका की प्रविष्टियों को कई श्रेणियों में विभक्त करके दिखाया जाता है तो कुछ चयन समितियों द्वारा प्रविष्टियों पर उनके गुणावगुण के आधार पर अंक दिये जाते हैं और कुछ चयन समितियों द्वारा पात्रता क्षेत्र के अधिकारियों के चरित्र पंजियों की प्रविष्टियों को पढ़कर ही राय कायम कर ली जाती है। इसी प्रकार की स्थिति नुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के मापदण्ड के आधार पर होने वाले चयन के संबंध में भी है।

2—अतः लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर चयन की प्रक्रिया में एक रूपता रखने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गयी है :—

(1) अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन की प्रक्रिया:—

(क) इस सिद्धान्त के तहत रिक्तियों को देखते हुए उनके अनुपात में निर्धारित संख्या के पात्रता क्षेत्र के अधिकारियों के नामों पर वरिष्ठता क्रम में विचार किया जाना चाहिये। सर्वप्रथम वरिष्ठतम अधिकारी के नाम पर विचार कर उसे उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित करने के बाद दूसरे तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिये जब तक रिक्तियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति क लिये उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो जायें। जब प्रोन्नति के लिये वांछित संख्या में अधिकारी उपलब्ध हो जायें तब उसके बाद के अधिकारियों के नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ख) इस सिद्धांत के आधार पर प्रोन्नति हतु संबंधित अधिकारियों की, प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की प्रविष्टियां देखी जायं और यदि वैसी अवधि 10 वर्ष से अधिक हो तो केवल अन्तिम 10 वर्ष की प्रविष्टियां देखी जायं।

(2) श्रेष्ठता के आधार पर चयन की प्रक्रिया:—

(क) उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध निर्धारित अनुपात में रखे गये पात्रता क्षेत्र के समस्त अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिये। "श्रेष्ठता" के मापदण्ड के अनुसार चयन का तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण पात्रता क्षेत्र में से सर्वोत्तम उपलब्ध अधिकारियों को चयनित किया जाए। अतः पात्रता क्षेत्र के समस्त अधिकारियों का मूल्यांकन कर उनकी आपसी तुलनात्मक पारस्परिक श्रेष्ठता के विषय में निर्णय लिया जाना चाहिये।

(ख) श्रेष्ठता के मापदण्ड के आधार पर चयन में अधिकारियों के सम्पूर्ण सेवाकाल की प्रविष्टियां देखी जायें परन्तु विशेष ध्यान अन्तिम 10 वर्षों की प्रविष्टियों पर दिया जाए।

(ग) अधिकारियों की चरित्र पंजियों की प्रविष्टियों के आधार पर मूल्यांकन करने हेतु उन्हें निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाय :—

(1) अति उत्तम
(2) उत्तम
(3) अनुपयुक्त

चरित्र पंजियों की प्रविष्टियों के आधार पर अधिकारियों का मूल्यांकन करके उन्हें उक्त तीन श्रेणियों में रखने के पश्चात् सर्वप्रथम अति उत्तम श्रेणी के अधिकारियों में से उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार रिक्तियों को भरा जाए और उसके पश्चात् आवश्यकतानुसार उत्तम श्रेणी के अधिकारियों में से शेष रिक्तियां भर ली जायं। अति उत्तम तथा उत्तम श्रेणी के अधिकारियों में से चयनित अधिकारियों के नाम उनकी मल वरिष्ठता क्रम के अनुसार पुनः रिअरेंज करके एक सूची बना ली जाए जो उनकी वरिष्ठता सूची होगी।

3—अनुरोध है कि भविष्य में होने वाले चयनों में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाय।

जी० पी० शुक्ल,
विशेष सचिव।

सेवा में,

1—शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव।
2—सचिवालय के समस्त [illegible] भाग।
3—समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4—समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव।

पी० एस० ए० पी०—ए० पी० 2 सा० नियमित-11-4-84-(209)—1984-11,500—(प्रो०)।